

## साच्चिकारों का नैतिक आच्छार (Moral Foundations of rights)

वी. रच. गीन (1836-82) के पद-चिह्नो पर चलते हुए, लारकी ने साच्चिकारों के नैतिक आच्छार की सुरित की है। उसने यह स्वीकार किया है कि साच्चिकार राज्य को देने नहीं है बल्कि उनका स्थान राज्य को देना (Authority) से ऊंचा है परंतु पूजावादी व्यवस्था को सुरितों का कर्ण करते हुए, लारकी गीन से बड़े भागों बढ गया है।

साच्चिकार इस अर्थ में ऐतिहासिक नहीं है कि उन्हें किसी अंग-विशेष में मान्यता प्राप्त हुई है। परंतु यह इस अर्थ में ऐतिहासिक आवश्यक है कि समाज ने अपने विकास के किसी स्तर पर उनकी मांग की है।

जब साच्चिकार नैतिक आच्छार पर स्थापित किए जाते हैं। तब यह आवश्यक हो जाता है कि उनके साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं।

साच्चिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं लारकी के शब्दों में मुझे दूसरों के आक्रमण से रक्षा पदान करने का अर्थ यह है कि मैं भी अपने आपकी दूसरों पर आक्रमण करने से रोकूँ।

## संपत्ति के साच्चिकार (Right to Property)

लारकी ने इस शर्त पर स्वीकार किया है कि वह सर्व-हित में बाचक न हो और शक्ति को अपने कर्तव्यपालन में स्थापना है जहाँ संपत्ति दूसरों के उपर शक्ति के प्रयोग का साधन बन जाए, वहाँ इस साच्चिकार को समाप्त कर देना चाहिए।